नजूल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद।

सार्वजनिक निविदा की सूचना

Website: http://allahabadmc.gov.in

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर निगम इलाहाबाद सीमान्तर्गत वर्ष 2017–18 मे यातायात को सुगम बनाये रखने हेतु निम्नलिखित स्थलों पर (रोड एवं पटरी छोड़कर) वाहन पार्किंग/स्टैण्ड हेतु उक्त स्थलो से पार्किंग शुल्क वसूली करने के लिये दिनांक 31.03.2018 तक के लिये टेण्डर/निविदाएं प्रभारी अधिकारी (नजूल) के कार्यालय कक्ष में दिनांक 29-03-2017 को समय 12:00 बजे अपरान्ह से 03:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा पत्र एवं शिडयूल की प्रति एच0डी0एफ0सी0 बैंक इलाहाबाद में स्थित 04 शाखाओं सिविल लाईन्स, जीरो रोड, टैगोर टाउन एवं करैली ब्रान्च से भी निविदा मूल्य जमा कर निविदा तिथि के एक दिन पूर्व 05:00 बजे तक प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक स्थल के लिये पृथक–पृथक निविदा डाली जायेगी और उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे टेण्डर समिति एवं निविदादाताओ के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं शिडयूल की प्रति दिनांक 21-03-2017से नगर निगम वेब साईट पर उपलब्ध होगी, जिसे डाउनलोड कर निविदा मूल्य एवं प्रतिभूति जमा कर निविदा डाली जा सकती है। इस प्रकार यह निविदाएं ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन पर प्राप्त की जा सकती हैं। प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ निविदा ऑफर की 50 प्रतिशत धनराशि जमानत के समतुल्य बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो "प्रभारी अधिकारी नजूल" के नाम प्लेज्ड होगा/जमा करना अनिवार्य होगा। बिना जमानत धनराशि के कोई भी निविदा स्वीकार नही किया जायेगा। निविदा/टेण्डर ठेका की अवधि कब्जा प्राप्ति की तिथि से दिनांक 31.03.2018 तक होगी। टेण्डर फार्म पर पैन नम्बर एवं मोबाईल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। किसी भी टेण्डर को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद मे निहित होगा। निविदा सूचना व शर्ते नगर निगम इलाहाबाद के वेबसाइट **www.allahabad**mc.gov.in पर उपलब्ध है एवं नगर निगम स्थित नजूल कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस मे देखा जा सकता है।

प्रस्तावित वाहन पार्किंग स्थल

(1) कमला नेहरू रोड राजू नर्सरी के स्थान पर विकसित पार्क पर (चार पहिया वाहन पार्किंग) **(2.)** खुल्दाबाद सब्जी मण्डी के बाहर व अन्दर **(3.)** कम्पनी बाग चन्द्रशेखर आजाद मूर्ति के सामने **(4.)** सन्त जोसेफ जूनियर कालेज के बाहर (दो पहिया वाहन पार्किंग) **(5.)** नैनी सब्जी मण्डी के बाहर 40X80 वर्गफिट **(6.)** कमला नेहरू रोड स्थित प्रयाग संगीत समिति के सामने पश्चिम पटरी पर

7–महात्मागॉधी मार्ग पर चार पहिया वाहन पार्किंग हेतु।

काफी एल च्वाईस व बाटा शो–रूम के सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं फोटो विजन 30ए महात्मागॉधी मार्ग के सामने, कादिर बिल्डिंग के सामने महात्मा गॉधी मार्ग, विनायक टावर (कोटेक लाईफ इन्श्यूरेन्स के सामने महात्मा गॉधी मार्ग, सेन्ट पाल बुक सेन्टर 33 महात्मा गॉधी मार्ग, ए0सी0सी0 बिल्डिंग के सामने महात्मा गॉधी मार्ग, बिग बाजार महात्मा गॉधी मार्ग, भारतीय जीवन बिमा निगम 172ए/40 के सामने महात्मा गॉधी मार्ग, हितकारी यू0पी0सी0 क्रॉकरी के सामने महात्मा गॉधी मार्ग, हर्ष होटल के सामने महात्मागॉधी मार्ग, काफी हाऊस के पास लोहिया मार्ग मोड़ तक।

8–महात्मागॉधी मार्ग पर दो पहिया वाहन पार्किंग हेतु।

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक 207/जी0 53 महात्मागॉधी मार्ग, जय श्री शंकर भोजनालय एवं मॉडल वाईन शॉप 18/ए के सामने महात्मागॉधी मार्ग, काशी अर्नामेन्ट हाउस 141/ए/33ए/3 के सामने महात्मागॉधी मार्ग।

नोटः–

- निविदादाता द्वारा टेण्डर/निविदा प्रपत्र पर जो दर अंकित किये जायेगें वह शब्दों एवं अंकों में साफ साफ अंकित किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी निविदादाता द्वारा दरों में ओवर राइटिंग कर दर अंकित किये जायेगें, वह निविदा निरस्त मानी जायेगी।
- 4 प्रतिशत वैट निविदा मूल्य पर देय होगी जो निविदा मूल्य के साथ बैंक को प्राप्त कराते हुए निविदा फार्म क्रय की जायेगी।

18.3.17

(लालमणि यादव)
उप प्रभारी अधिकारी (नजूल)

अपर नगर आयुक्त/
प्रभारी अधिकारी (नजूल)

(शेषमणि पाण्डेय)
नगर आयुक्त

वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगरीय क्षेत्र में अस्थाई वाहन पार्किंग / स्टैण्ड व्यवस्था हेतु
निविदा फार्म
नजूल विभाग, नगर निगम, इलाहाबाद।

1. निविदा फार्म का मूल्य	:	रूपया 500•00+4 प्रतिशत वैट **(520•00 रूपया)**
2. निविदा फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक ....
3. निविदा डाले जाने का दिनांक स्थान व समय	:	दिनांक .... प्रभारी अधिकारी (नजूल) के कार्यालय कक्ष में अपरान्ह 12:00 बजे से 03:00 बजे तक
4. निविदा खोले जाने का दिनांक, स्थान व समय	:	दिनांक .... प्रभारी अधिकारी (नजूल) विभाग के कार्यालय कक्ष में अपरान्ह 04:00 बजे।
5. निविदा डालने वाले का नाम व पता	:	....
		....
6. निविदा डाले जाने वाले स्थल का नाम	:	....
7. ऑफर की धनराशि	:	....
8. निविदा के साथ संलग्न जमानत की धनराशि	:	....
का विवरण	:	....
9. निविदा डालने वाले व्यक्ति का पैन नं0	:	....
10. निविदा डालने वाले व्यक्ति का मोबाईल नं0	:	....
11. शर्तो के अनुसार निवास प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न	:	....

प्रभारी अधिकारी (नजूल)
नगर निगम, इलाहाबाद।

नियम व शर्ते:–

1. निविदा आफर का 50 प्रतिशत धनराशि जमानत समतुल्य बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जो प्रभारी अधिकारी (नजूल) के नाम से प्लेज्ड होगा, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त एक सप्ताह मे अवशेष धनराशि जमा करने पर ही कब्जा प्राप्त कराया जायेगा।
3. शेष नियम व शर्ते निविदा फार्म के साथ सलग्न है।

निविदादाता का हस्ताक्षर

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये नगर निगम इलाहाबाद सीमान्तर्गत

पार्किंग शुल्क वसूली हेतु टेण्डर की नियम एवं शर्तेः–

1. पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 31 मार्च, 2018 तक के लिये मान्य होगी।
2. प्रत्येक स्थल के लिये पृथक–पृथक टेण्डर प्रपत्र मान्य होगा तथा विज्ञापन में प्रदर्शित क्रमांक 7 व 8 पर उल्लिखित समस्त स्थलों के लिये मात्र एक–एक टेण्डर प्रयोग किये जा सकेंगे तथा इन स्थलों पर टिकट जारी करने के लिये इलेक्ट्रानिक्स हैण्ड बिल रसीद का प्रयोग ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
3. टेण्डर फार्म एच0डी0एफ0सी0 बैंक की करैली, जीरो रोड, सिविल लाईन्स एवं टैगोर टाउन की शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका मूल्य 500•00+04 प्रतिशत वैट कुल 520•00 रूपया होगा।
4. अनुज्ञापी को टेण्डर फार्म में एक ही पार्किंग स्थल अंकित करना होगा जो कि निर्धारित प्रपत्र पर होगा तथा प्रत्येक अनुज्ञा के साथ पार्किंग शुल्क की 50 प्रतिशत धनराशि के समतुल्य बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो प्रभारी अधिकारी (नजूल), नगर निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा। आधी धनराशि से कम संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट के अनुज्ञापी के प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात सूचना प्राप्त होने पर पार्किंग की शेष आधी व स्वीकृत धनराशि का 2•226 प्रतिशत आयकर धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नगद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। ऐसा न किये जाने पर पूर्व में जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तथा नयी अनुज्ञा आमंत्रित करने हेतु नगर निगम स्वतन्त्र होगा।
5. बिना कारण बताये टेण्डर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी/नगर आयुक्त मे निहित होगा। नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
6. टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात टेण्डरदाता द्वारा शर्तो का अनुबन्ध नियमानुसार देय धनराशि (स्वीकृति धनराशि) के 10 प्रतिशत स्टैम्प पेपर पर करना होगा यदि स्टैम्प शुल्क की राशि में कोई कमी भविष्य में आती है, तो उसकी पूर्ति का दायित्व सम्बन्धित टेण्डरदाता का होगा। बिना अनुबन्ध के शुल्क वसूली हेतु स्थल का कब्जा नहीं दिया जायेगा। अनुबन्ध के पश्चात ही अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
7. शासन/प्रशासन/इलाहाबाद नगर निगम/विकास प्राधिकरण/पुलिस/लोक निर्माण या माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा पार्किंग स्थल से किसी प्रकार से जितना भी अतिक्रमण हटा दिया जाता है। उसकी क्षतिपूर्ति के लिये इलाहाबाद नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा। दैविक आपदा, दंगा, कर्फ्यू अथवा जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण वसूली बन्द रहने पर जो भी क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति के लिये इलाहाबाद नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
8. टेण्डरदाता को दो पासपोर्ट साइज के फोटो अपने नाम/पता के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं जिलाधिकारी कार्यालय इलाहाबाद से प्रदत्त 06 माह के अन्दर का चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र एवं अस्थाई निवास प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना है।
9. नगर निगम द्वारा निर्धारित चौहद्दी/क्षेत्रफल स्थल में ही निर्धारित दरों के अनुसार पार्किंग शुल्क वसूली का अधिकार टेण्डरदाता को होगा तथा स्थल पर वसूली करने हेतु टेण्डरदाता द्वारा नियुक्त कर्मियों को लाल रंग की प्रिन्टेड एप्रेन एवं पूर्ण विवरण सत्यापित फोटो सहित परिचय–पत्र उपलब्ध कराना होगा तथा पार्किंग स्थल के चौहद्दी/क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में पार्किंग स्थल पर लगे सूचनापट पर अंकित करना आवश्यक होगा।
10. पार्किंग स्थल पर खड़े होने वाले वाहनों की जॉच मेटल डिटेक्टर आदि से कराने हेतु टेण्डरदाता को सुरक्षा गार्ड अपने व्यय पर लगाना होगा।

11. पार्किंग स्थलों का कार्यकाल प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही प्रभावी होगा। इस अवधि के पूर्व या बाद में सम्बन्धित स्थलो पर किसी प्रकार का कब्जा या उपयोग अवैध माना जायेगा। इस सूचना को भी सूचना पट पर लिखना होगा।

12. पार्किंग स्थलों के टेण्डरदाता के लिये यह आवश्यक होगा, कि वह नगर निगम द्वारा निर्धारित निम्न प्रपत्र के अनुसार कूपन स्वयं के व्यय पर छपवायेगा, जो प्रत्येक स्थल के लिये अलग–अलग रंग का होगा तथा प्रत्येक कूपन पर टोकन नम्बर, पार्किंग स्थल की सीमा, टेण्डरदाता का नाम/पता/फोन नम्बर, पार्किंग की दरें स्पष्ट उल्लेख करेगा। अनुज्ञापी द्वारा केवल नगर निगम द्वारा निर्धारित चौहद्दी/स्थल में ही पार्किंग शुल्क वसूल किया जायेगा। टोकन प्रयोग करने से पूर्व उसका सत्यापन नगर निगम से कराना होगा। जिस पर कर अधीक्षक से नीचे के अधिकारी के हस्ताक्षर नही होगें। इन सभी कूपनों का इन्द्राज नगर निगम के रजिस्टर में दर्ज कराना होगा, जिस पर सम्बन्धित अधिकारी की मोहर लगवाना अनिवार्य होगा। सत्यापन के उपरान्त ही कूपन प्रयोग में लाये जायेगें। बिना सत्यापन के कूपन प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर कम से कम रू0 10,000•00 का अर्थदण्ड देय होगा।

<u>नगर निगम इलाहाबाद</u>

पार्किंग स्थल हेतु रसीद — रसीद सं0

नगर निगम द्वारा अधिकृत पार्किंग स्थल का नामः–
पार्किंग स्थल की सीमाः–
अनुज्ञापी का नामः–

दरें:–	साईकिल	रू0–2•00
	स्कूटर/मोटर साइकिल	रू0–5•00
	कार एवं चार पहिया वाहन	रू0–10•00

<u>नगर निगम इलाहाबाद</u>

एम0जी0मार्ग सिविल लाईन्स पार्किंग स्थल हेतु रसीद

रसीद सं0

नगर निगम द्वारा अधिकृत पार्किंग स्थल का नामः–
पार्किंग स्थल की सीमाः–
अनुज्ञापी का नामः–

दरें:–**(क) दो पहिया वाहनों/मोटर साईकिल आदि के लिये दरें:–**

(1) प्रथम एक घंण्टे के लिये	**रू0–5/– वाहन**
(2) प्रथम एक घंण्टे के उपरान्त प्रत्येक अतिरिक्त घंण्टे के लिये	**रू0–10/– वाहन**

(ख) कार/चार पहिया/तीन पहिया वाहन के लिये दरें:–

(1) प्रथम एक घंण्टे के लिये	**रू0–10/– वाहन**
(2) प्रथम एक घंण्टे के उपरान्त प्रत्येक अतिरिक्त घंण्टे के लिये	**रू0–20/– वाहन**

उपर्युक्त दरों से अधिक की वसूली वाहन मालिको से किये जाने, निर्धारित दर का कूपन न प्रयोग करने, वर्दी न धारण करने, परिचय पत्र न लगाने या कोई प्रमाण अथवा इस सम्बन्ध में की गयी शिकायत सही पाये जाने पर एक लाख से कम तक के टेण्डरदाता से रू0–10,000•00 तथा एक लाख से अधिक धनराशि के टेण्डरदाता से रू0–25,000•00 तक का जुर्माना वसूल किया जायेगा। पुनः उल्लघंन करे पर टेण्डर निरस्त कर सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13. नगर निगम सीमा के अन्तर्गत पार्किंग स्थल की चौहद्दी में त्यौहारों, मेलों के अवसर पर लगने वाली साप्ताहिक बाजारो/दुकानों से शुल्क (तहबाजारी) वसूल करने का अधिकार टेण्डरदाता को नही होगा।

14. पार्किंग शुल्क वसूली की अवधि समाप्त होने पर टेण्डरदाता का कब्जा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

15. टेण्डर की अवधि में शासन/नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा लगाये गये कर, शुल्क आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व टेण्डरदाता का होगा।